Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

सामाजिक कल्याण एवं महत्त्वपूर्ण विधान

(उत्तराखंड के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UKPM14

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

सामाजिक कल्याण एवं महत्त्वपूर्ण विधान

(उत्तराखंड के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : **1800-121-6260**
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को “like” करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

दृष्टि The Vision

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

सामाजिक कल्याण एवं महत्त्वपूर्ण विधान

(उत्तराखंड के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : **1800-121-6260**
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UKPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1.	**परिवर्तन के तत्त्व के रूप में सामाजिक विधान**	**5–14**
1.1	भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ	5
1.2	सामाजिक विधान : अर्थ एवं प्रकार	9
1.3	सामाजिक विधान द्वारा परिवर्तन	11
1.4	सामाजिक विधान का प्रभाव	12
2.	**भारतीय समाज के असुरक्षित वर्ग एवं उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ**	**15–49**
2.1	असुरक्षित, हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह/समुदाय : अर्थ एवं अवधारणा	15
2.2	भारत में असुरक्षित वर्गों की स्थिति एवं समस्याएँ	18
2.3	असुरक्षित वर्गों से संबंधित उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ	25
2.4	असुरक्षित वर्गों के लिये उत्तराखंड सरकार के विशेष प्रयास	43
3.	**नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955**	**50–62**
3.1	पृष्ठभूमि एवं परिभाषा	50
3.2	विभिन्न निर्योग्यताएँ एवं दंड प्रावधान	51
3.3	न्यायालयीन संदर्भ एवं अधिकारिता	54
4.	**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**	**63–84**
4.1	पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ	63
4.2	अत्याचार के अपराध एवं दंड प्रावधान	66
4.3	निष्कासन एवं शास्ति	72
4.4	विशेष न्यायालय एवं प्रकीर्ण	73
4.5	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015	79
5.	**घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005**	**85–97**
5.1	घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ	85
5.2	घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं संबंधित प्रक्रियाएँ	88
5.3	घरेलू हिंसा के कारण एवं परिणाम	92
5.4	महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव	94
6.	**महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ**	**98–137**
6.1	महिलाओं के विरुद्ध अपराध	98
6.2	महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सामाजिक विधान	100

6.3 भारत में महिला अधिकारों की निगरानी के लिये एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ 107
6.4 महिलाओं के लिये केंद्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ 108
6.5 बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सामाजिक विधान 115
6.6 भारत में बच्चों के संरक्षण एवं उन्नति के लिये गठित सरकारी तंत्र 124
6.7 बच्चों के लिये केंद्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ 125
6.8 उत्तराखंड में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिये सरकारी तंत्र 131

7. महिला एवं बाल यौन शोषण निवारण उपाय 138–149
7.1 महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय 138
7.2 बच्चों का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय 142
7.3 आई.पी.सी. एवं सी.आर.पी.सी के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा 144
7.4 महिलाओं एवं बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिये सुझाव 146

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ 150–181
8.1 अनुसूचित जाति हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान 150
8.2 अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 155
8.3 अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान 160
8.4 अनुसूचित जनजातियों में संबंधित सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 168
8.5 वर्तमान परिदृश्य: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 175

9. अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ 182–195
9.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 182
9.2 अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएँ 184
9.3 अल्पसंख्यक सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अभिनव कदम 189
9.4 पिछड़ा वर्ग से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 192

10. नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य असुरक्षित वर्ग के कल्याण से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 196–226
10.1 नि:शक्तजनों से संबंधित समस्याएँ एवं संवैधानिक प्रावधान 196
10.2 नि:शक्तजनों के लिये सामाजिक विधान, सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 200
10.3 वृद्धजनों हेतु सामाजिक विधान सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 210
10.4 अन्य असुरक्षित वर्ग के संरक्षण हेतु सामाजिक विधान एवं तंत्र 214

11. विभिन्न वर्गों से संबंधित नीतियाँ 227–236
11.1 महिलाओं से संबंधित नीतियाँ 227
11.2 बच्चों से संबंधित नीतियाँ 229
11.3 वृद्धजनों से संबंधित नीतियाँ 231
11.4 नि:शक्तजनों से संबंधित नीतियाँ 233
11.5 राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 234

अध्याय
1

परिवर्तन के तत्त्व के रूप में सामाजिक विधान
(Social legislation as the element of change)

भारतीय समाज, समन्वित सामाजिक संस्कृति का एक अतुलनीय उदाहरण है। यहाँ प्रारंभ से ही विभिन्न विचारों, भाषाओं, खान-पान, रहन-सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि की विविधता उपस्थित रही है। भारतीय समाज की विविधता का एक प्रमुख कारक यहाँ उपस्थित भौगोलिक विविधता है। यहाँ एक ओर जहाँ ऊँचे पर्वत, समुद्र तट और मरुस्थल हैं तो वहीं दूसरी ओर वृहद् मैदान और घने जंगल भी हैं। इस कारण भारतीय समाज का विविध स्वरूप होना स्वाभाविक-सा लगता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस भारतीय समाज में एक वर्ग धनी एवं शिक्षित है तो दूसरा निर्धन एवं निरक्षर। एक ओर बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं तो दूसरी ओर दमन एवं शोषण की शिकार जनता। कहीं महिलाओं को संरक्षण देने के लिये बड़े-बड़े आंदोलन किये जाते हैं तो कहीं कन्या भ्रूणहत्या की निर्मम घटनाएँ होती हैं। कहीं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है तो कहीं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अधिकारों का हनन भी होता है।

1.1 भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ
(Indian Society : Features and Problems

प्रसंगवश, **19वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों** की पृष्ठभूमि भी कुछ सीमा तक ऐसे ही उथल-पुथल से युक्त थी। तब विधवा विवाह को अस्वीकार कर दिया जाता था, सती प्रथा को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी, छुआछूत भारतीय समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, बाल विवाह का बाहुल्य था, स्त्री शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। इन विकट परिस्थितियों में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डी. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फूले, बी.आर. अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवियों एवं संवेदनशील लोगों ने तत्कालीन भारतीय समाज को नई दिशा दिखाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस परिप्रेक्ष्य में **1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** लागू किये गए। **1891 में सम्मति आयु अधिनियम** पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित निम्नांकित अन्य कदम भी उठाए गए-

- 1903 में **बंबई समाज सुधारक सभा** बनाई गई।
- 1916 में **पुणे** में **भारतीय महिला विश्वविद्यालय** स्थापित किया गया।
- 1926 में **अखिल भारतीय महिला संघ** स्थापित किया गया।
- 1930 में **शारदा अधिनियम** द्वारा विवाह के लिये कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय किया गया।
- 1932 में **अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारक संघ** स्थापित कर छुआछूत निषेध को प्राथमिकता दी गई।

यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में निरंतर बदलाव होते रहे हैं और साथ ही इसकी विविधता भी बनी रही है। इस बदलाव के दौरान भारतीय समाज की संतुलित प्रगति के लिये विविध नियम बनाए गए एवं समाजोत्थान को प्रेरित करने वाले संगठनों की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जी रहे हैं तो भी भारतीय समाज की सामाजिक संस्कृति पर किसी प्रकार की आँच नहीं आई है। हाँ, यह ज़रूर है कि इस विविधतापूर्ण सामाजिक ढाँचे को बनाए रखने और इसकी निरंतर प्रगति के लिये कुछ संतुलनकारी तत्त्वों यथा सामाजिक विधानों की आवश्यकता जान पड़ती है, जैसा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी देखा गया। ये विधान भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग, लिंग, धर्म, जाति आदि को संरक्षण प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक विधान निर्मित किये गए हैं। जैसे-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिये '**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**', स्त्री को घरेलू हिंसा से बचाने के लिये '**घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005**', उपभोक्ताओं

- भिक्षावृत्ति, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन आदि से सबंधित कानून बनने से समाज में स्वस्थ वातावरण बना।
- महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्राप्त हुई।
- घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा से संरक्षण प्राप्त हुआ।
- समाज में नवीन सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

वर्तमान में हमारे देश में आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुरूप गतिशील सामाजिक विधान बनाने एवं पहले से उपस्थित विधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये विधान ऐसे हों, जो समस्त वर्गों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा सामाजिक विषमता दूर करने में समर्थ हों। सामाजिक विधानों से सामाजिक परिवर्तन होने के साथ-साथ वंचन में कमी आई है परंतु इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सामाजिक विधान सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सामाजिक विघटन रोकने, वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करने एवं समाज के सुधारक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लाए जाते हैं।
- 1829 में सर्वप्रथम बंगाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में संपूर्ण भारत में विस्तारित कर दिया गया।
- भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में विविधता, अध्यात्मवाद, सहिष्णुता आदि शामिल हैं।
- भारत में छुआछूत को समाप्त करने के लिये 1955 में 'सिविल अधिकार संरक्षण कानून' पारित किया गया था।
- सिविल अधिकार संरक्षण कानून, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 से संबंधित है।
- शारदा एक्ट, 1929 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के लिये विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई।
- 1932 में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ' की स्थापना की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति **घनश्यामदास बिड़ला** थे।
- दहेज़ प्रथा को रोकने के लिये 'दहेज़ (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961' पारित किया गया।
- बालश्रम समस्या के समाधान के लिये 1979 में **'गुरुपद स्वामी समिति'** का गठन किया गया था।
- 'सत्यशोधक समाज' ने दलित वर्ग के उत्थान एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के पक्ष में आवाज़ उठाई।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार दिलाने के लिये गंभीर प्रयत्न किये।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में से किस सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई?

UKPSC (RA/ARO) Mains 2016

(a) ब्रह्म समाज (b) प्रार्थना समाज
(c) आर्य समाज (d) सत्य शोधक समाज

2. निम्न में से कौन-सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है?

(a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955
(b) घरेलू हिंसा अधिनियम-2005
(c) स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम -1956
(d) दहेज़ विरोध संशोधन अधिनियम-1961, 1985

3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 संबंधित है-

(a) महिलाओं एवं बच्चों से
(b) वृद्धजनों से
(c) दिव्यांगजनों से
(d) अनुसूचित जाति के सदस्यों से

4. शारदा अधिनियम संबंधित है-
   (a) सती प्रथा (b) बाल विवाह
   (c) विधवा विवाह (d) विशेष विवाह
5. भारत में छुआछूत को रोकने के लिये कौन-सा अधिनियम बनाया गया?
   (a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955
   (b) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994
   (c) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956
   (d) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1961, 1972
6. सामाजिक विधान का उद्देश्य नहीं है-
   (a) सामाजिक परिवर्तन (b) सामाजिक सुधार
   (c) 1 एवं 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।
7. भारतीय समाज की विशेषताओं में किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये?
   (a) बेरोज़गारी (b) भ्रष्टाचार
   (c) अशिक्षा (d) संपन्नता
8. प्राचीन विधान के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है-
   (1) ये सामान्यत: अलिखित होते हैं।
   (2) इनका विकास जनरीतियों, लोक परंपराओं एवं नैतिकता की परिपाटी में होता है।
   (3) इन विधानों को सदैव वैधानिक आधार प्राप्त रहता है।

   कूट:
   (a) 1 एवं 2 दोनों (b) केवल 1
   (c) 1 एवं 3 दोनों (d) उपरोक्त सभी सही हैं।
9. वर्ष 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
   (a) बाल विवाह
   (b) बाल श्रम
   (c) बाल व्यापार
   (d) इनमें से कोई नहीं।
10. निम्न में से कौन-सा एक सही है?
   (a) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 - अस्पृश्यता निवारण
   (b) अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) विरोध अधिनियम, 1989 - अनैतिक व्यापार
   (c) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 - छुआछूत का निषेध
   (d) बालश्रम निषेध अधिनियम, 1956 - बाल विवाह

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (d) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (a) 9. (b) 10. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिये)

(a) समाज में कानून द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है?
(b) एक समाज का उदाहरण।
(c) भारतीय समाज।
(d) संयुक्त परिवार।
(e) जाति व्यवस्था।
(f) बालश्रम।
(g) सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक दो विधियों का उल्लेख करें।

लघु एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50, 125 या 250 शब्दों में दीजिये)

1. 'सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिये उत्तरदायी हैं।' स्पष्ट कीजिये।
2. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।
3. वर्तमान में भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? संक्षिप्त विवरण दीजिये।
4. विधि के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? स्पष्ट कीजिये।
5. सामाजिक विधान क्या होते है? इनके प्रकार एवं क्षेत्र की चर्चा करें।

अध्याय
2

भारतीय समाज के असुरक्षित वर्ग एवं उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ (Vulnerable Classes of Indian Society and Schemes of Uttarakhand Government)

'सामाजिक न्याय' शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमज़ोर व्यक्तियों, वृद्धों, दीन-हीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा-वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एक विषमतामूलक समाज के 'सर्वसमावेशी समाज' के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह सबके लिये समान विकासीय दशाओं तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। समाज के वे वर्ग जो असुरक्षित, हाशिये पर, उपेक्षित एवं मुख्यधारा से पीछे छूट गए हैं, उन्हें सामाजिक न्याय के द्वारा ही आगे बढ़ाने एवं संरक्षित करने के लिये सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। भारत में एकता और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय का अत्यधिक महत्त्व है।

2.1 असुरक्षित, हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह/समुदाय : अर्थ एवं अवधारणा *(Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Groups/ Communities : Meaning and Concept)*

असुरक्षित समूह का अर्थ *(Meaning of vulnerable groups)*

'असुरक्षित समूह' का अर्थ अत्यंत अस्पष्ट है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे समूह जो शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं, उन्हें असुरक्षित समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार, असुरक्षित समूह में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता है जो न तो आरामदायक जीवन जीने में सक्षम होते हैं और न ही इन्हें विकास के समुचित अवसर ही उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के चलते वे अपने मूलभूत मानवाधिकारों का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं होते हैं।

यूरोपीय संघ के अनुसार, "वे समूह जो आम जनता की तुलना में अधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के शिकार होते हैं, वे असुरक्षित कहलाते हैं।" प्रजातीय अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, नि:शक्त व्यक्तियों, बेघरों तथा मादक द्रव्य व्यसनी, अकेले रह रहे वृद्ध तथा बच्चे सभी असुरक्षित समूहों के अंतर्गत ही आते हैं और ये सभी प्राय: मुश्किलों का सामना करते हैं जिससे इन्हें शिक्षा के निम्न स्तर तथा बेरोज़गारी जैसे सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है।

हाशिये पर स्थित समूह का अर्थ *(Meaning of marginalized groups)*

हाशिये पर चले गए समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्यधारा से हाशिये पर धकेल दिया गया है। ऐसे समूह प्राय: अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं और सामान्यत: इनके हितों की अनदेखी की जाती है। हाशिये पर स्थित समूहों को वंचित समूहों के रूप में भी जाना जाता है। ये लाभ से वंचित समाज के ऐसे समूह हैं जो संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में पूर्ण सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हाशिये पर स्थित लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत भी हो सकते हैं और इसीलिये वे असुरक्षित होते हैं।

अध्याय
3

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955)

स्वतंत्रता एवं समानता सामाजिक न्याय के मूलभूत तत्त्व हैं। दोनों में से किसी एक का अभाव सामाजिक न्याय का अभाव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिये ज़रूरी है। किसी भी समाज में समानता सहज और वांछनीय है। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने और उसे सतत् विकास की ओर गतिमान बनाए रखने की दृष्टि से विषमताओं को न्यूनतम किया जाना जरूरी है, किंतु अधिक विषमता को नियंत्रित करना और समानता की प्राप्ति के लिये प्रयास करना कहीं अधिक अनिवार्य है। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो समानता पर आधारित हो, किसी भी व्यवस्था मे जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी बुराई के अंत के लिये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 प्रवृत्त किया गया है।

3.1 पृष्ठभूमि एवं परिभाषा *(Background and Definitions)*

अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता या इससे संबद्ध मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम बनाया गया था।

इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि '**यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है या ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की किसी परंपरा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी रूप में अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देता है तो उस व्यक्ति को अस्पृश्यता के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाला माना जाएगा**।

चूँकि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। अस्पृश्यता पर आधारित भेदभाव ज़्यादातर उच्च जातियों द्वारा दलित या अनुसूचित जातियों के साथ किया जाता है इसलिये अस्पृश्यता के आधार पर अपराध गठित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त एवं परिवादी (Accused and complainant) भिन्न सामाजिक समूह के व्यक्ति हों। यदि **अभियुक्त एवं परिवादी समान सामाजिक समूह के व्यक्ति हैं तो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं माना जाएगा।**

धारा-1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ–

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था।
- राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को 8 मई, 1955 को अनुमति प्रदान की गई थी।
- इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को समाज में सम्मान एवं समानता का अधिकार दिलाना है।
- अप्रैल 1965 में गठित **इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal committee)** की अनुशंसाओं के आधार पर 1975 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (Untouchability (Offences) Act, 1955) का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of civil right Act, 1955) कर दिया गया था।
- संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ।
- यह अधिनियम भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17** के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है।
- यह अधिनियम अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार को समाप्त करने पर केंद्रित है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **जम्मू-कश्मीर सहित** देश के सभी भागों में लागू किया गया है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 इस संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से अलग है, जिसे **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर** देश के अन्य भागों में लागू किया गया है।

अध्याय 4

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किये गए अपराधों के निवारण के लिये है। अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कहलाता है।

- यह अधिनियम 11 सितंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम को 30 जनवरी, 1990 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किये गए अपराध गैर-जमानती (Non bailable), संज्ञेय (Cognizable) तथा अशमनीय (Non-compoundable) हैं।

4.1 पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ *(Background and Commencement)*

भारतीय समाज को परंपरागत विश्वासों के अंधानुकरण तथा अतार्किक लगाव से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिये 1955 में अस्पृश्यता (अपराध निवारण) अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसकी कमियों एवं कमज़ोरियों के कारण सरकार को इस कानूनी तंत्र में व्यापक सुधार करना पड़ा। 1976 से इस अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपाय करने के बावजूद उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। उन्हें अपमानित एवं उत्पीड़ित किया जाता रहा। उन्होंने जब भी अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहा, उन्हें दबाने एवं आतंकित करने का कार्य किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न रोकने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने के लिये विशेष अदालतों के गठन को आवश्यक समझा गया। उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया था। **इस अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सक्रिय प्रयासों से न्याय दिलाना था, ताकि समाज में वे गरिमा के साथ रह सकें। उन्हें हिंसा या उत्पीड़न का भय न सताए।

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसे लोगों से है, जो प्राचीन समय में वर्ण पदानुक्रम व्यवस्था में शामिल नहीं थे।
- यह शब्द पहली बार साइमन कमीशन द्वारा प्रयोग किया गया था।
- भारत शासन अधिनियम-1935 में भी इसका उल्लेख किया गया था।

अनुसूचित जनजाति

- अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के संविधान में हुआ है।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है।
- अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ 'वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या उन आदिवासी समुदायों के भाग या समूह हैं, जिन्हें **राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना** द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।'

अध्याय
5

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

घरेलू हिंसा या महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में शिकार होने वाली महिलाओं की रक्षा करने और उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।** 13 सितंबर, 2005 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 26 अक्टूबर, 2006 से इसे लागू किया गया।

5.1 घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ *(Definition and Categories of Domestic Violence)*

सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें पहुँचाई गई शारीरिक हानि को माना जाता है। व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल वर्तमान पतियों से ही न होकर पुरुष मित्रों, पूर्व-पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इस तरह से घरेलू हिंसा, पीड़ित (Victim) एवं प्रत्यर्थी (Respondent) के संबंध को दर्शाता है। घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है। इसके लिये हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है और शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एवं लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है।

परिभाषा *(Definition)*

इस अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

(क) **'व्यथित व्यक्ति'** से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;

(ख) **'बालक'** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है;

(ग) **'प्रतिकर आदेश'** से धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(घ) **'अभिरक्षा आदेश'** से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) **'घरेलू घटना रिपोर्ट'** से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो;

(च) **'घरेलू नातेदारी'** से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं;

(छ) **'घरेलू हिंसा'** का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है;

(ज) **'दहेज़'** का वही अर्थ होगा, जो दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है;

(झ) **'मजिस्ट्रेट'** से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ञ) **'चिकित्सीय सुविधा'** से ऐसी सुविधा अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए;

अध्याय 6 महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Women and Childern)

देश के समग्र विकास के लिये महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण एवं कल्याण अत्यंत आवश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित होने के लिये भी महिला एवं बाल विकास पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भारत में लोकनीति एवं सामाजिक विधानों का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके इन्हें संरक्षित करना है। महिलाओं एवं बच्चों का भविष्य एक सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ वातावरण में विकसित हो इसके लिये सामाजिक विधान एवं कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता सतत् रूप से बनी रहेगी।

6.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crime Against Women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किये जाते हैं। भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code–IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित कृत्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है–

(i) बलात्कार (Rape), (ii) अपहरण या भगा ले जाना (Kidnapping or Abduction), (iii) दहेज हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक) Harassment (Physically/mentally), (v) छेड़छाड़ (Molestation), (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment), (vii) लड़कियाँ मँगवाना या लाना (Import of girls)

> सामाजिक प्रतिरूप राष्ट्रीय संस्थान व राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार हर 33 मिनट में महिलाओं के विरुद्ध एक मामला मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध क्रमश: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं।

महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न अपराधों का सामना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग आदि के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में भी हो सकते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेत्तर संबंधों के आरोप में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनका सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेजाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेडछाड़ महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएँ न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। वे न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्राय: वे समझती हैं कि उनके साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

महिलाओं के संपूर्ण जीवन-चक्र में उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं के विभिन्न स्वरूप *(Various forms of violence against women throughout the life cycle)*

अवस्था	हिंसा के स्वरूप
गर्भधारण पूर्व	क्रोमोसोम चयन तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण न आने देना
जन्म से पूर्व	लिंग विशिष्ट गर्भपात करवाना।

अध्याय 7

महिला एवं बाल यौन शोषण निवारण उपाय (Women and Child Sexual Abuse Prevention Measures)

महिला एवं बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय गंभीर सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन और समाज में उनकी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। महिलाओं एवं बच्चों के साथ हिंसा और यौन शोषण उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक क्षति से जुड़े हुए हैं। आधुनिक तकनीकी युग में इंटरनेट, मोबाइल जैसे माध्यमों से अब यौन शोषण के नए तरीके और माध्यम उत्पन्न हो गए हैं। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी ने यौन उत्पीड़न की समस्या का विस्तार करते हुए इस समस्या को और अधिक भयावह बना दिया है। यौन शोषण से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जागरूकता आवश्यक है, साथ ही इससे संबंधित सामाजिक विधानों या कानूनों को सही तरीके से क्रियान्वित करने पर भी ध्यान दिये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

7.1 महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय *(Measures to Prevent Sexual Harassment of Women)*

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 *(Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013*

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं को मिले समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यह एक असुरक्षित एवं प्रतिकूल कार्य का वातावरण उत्पन्न करता है जो कार्य में महिलाओं की सहभागिता को हतोत्साहित करता है। इस कारण उनके आर्थिक सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इस मामले को सुलझाने के लिये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों एवं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अलावा पूर्व में कोई घरेलू कानून नहीं था। कार्य में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता ने यह अनिवार्य बना दिया है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये व्यापक कानून बनाने के साथ-साथ इसके समाधान तंत्र (Redressal Mechanism) का भी प्रावधान किया जाना चाहिये।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

(i) विशाखा मामले में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है और महिला कर्मचारियों को दी गई धमकी या महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कार्य-वातावरण को उत्पन्न करने के प्रयास को शामिल कर इस अधिनियम को और भी विस्तृत बना दिया गया है।

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पाने वाली पीड़ित महिला (Aggrieved Women) की परिभाषा को अत्यधिक विस्तृत बना दिया गया है ताकि बिना उसकी उम्र या रोज़गार प्रस्थिति को ध्यान में रखे, चाहे वह महिला संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, सभी संरक्षण पाने की हकदार होगी। इसमें ग्राहकों, खरीदारों के साथ-साथ घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।

(iii) जहाँ विशाखा दिशा-निर्देशों में कार्यस्थल, परंपरागत ढाँचा जिसमें स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पाए जाते हैं तक ही सीमित था, वहीं इस अधिनियम में संगठनों, विभागों, कार्यालयों (सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र की शाखा इकाई), अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्टेडियम, शैक्षिक संस्थानों, खेल परिसर या किसी अन्य स्थान तथा रोज़गार के दौरान कर्मचारी द्वारा किसी स्थान की यात्रा जिसमें परिवहन भी शामिल है, आदि को शामिल किया गया है।

अध्याय
8

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक 'समाजवादी' राज्य घोषित किया गया है और यह शब्द अपने आप में सरकार की सामाजिक न्याय एवं कल्याण के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का एक अर्थपूर्ण प्रमाण है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य समाज में मुख्य धारा से पिछड़ गए समुदायों को मुख्य धारा में जोड़कर समतामूलक एवं समावेशी समाज की स्थापना करना है।

8.1 अनुसूचित जाति हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान *(Constitutional Provisions and Social Legislation for Scheduled Castes)*

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, जबकि 2001-11 के दौरान इसमें 20.8% की वृद्धि हुई है। ये वे लोग हैं जो अंतिम वर्ण जिसे 'शूद्र' अथवा 'अवर्ण' या 'अंत्यज' कहा गया है, के अंतर्गत आते हैं। 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह अस्तित्व में आया। 1935 से पहले इन्हें 'अस्पृश्य' अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था।

ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। 'अस्पृश्य' कही जाने वाली इन जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों- हिंदू, जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बाँटने का सुझाव दिया। 1931 में अम्बेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक रक्षोपाय *(Constitutional safeguards for Scheduled Castes in India)*

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान *(Constitutional Provisions Relating to Scheduled castes)*

(A) परिभाषा

- अनुच्छेद-341 अनुसूचित जातियाँ
- अनुच्छेद-366(24) अनुसूचित जातियों की स्पष्ट परिभाषा

(B) सामाजिक रक्षोपाय के मानक

- अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद-25 अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

(C) शैक्षणिक, आर्थिक व लोक नियोजन संबंधी रक्षोपाय

- अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अध्याय

9

अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Minorities and Backward Classes)

भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना में ही भारत के सभी नागरिकों के विकास एवं उन्नयन के उद्देश्य दृष्टिगत होते हैं, फिर चाहे वे वंचित वर्ग के हों या मुख्यधारा के। भारत सरकार संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप ही अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग के संरक्षण एवं कल्याण हेतु प्रयासरत है। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित मुद्दों की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से नियोजन, समग्र नीति, समन्वय एवं विनियमक ढाँचे तथा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा सुविधा के लिये भारत सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है।

9.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ *(Social Legislation and System Related to Minorities)*

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, बौद्ध एवं पारसी इन पाँच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है। ये समुदाय राष्ट्र की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या की संरचना करते हैं। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। इसी उद्देश्य से 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में उनके संरक्षण के प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान भी हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। यह तार्किक रूप से युक्तियुक्त वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार असुरक्षित समूहों के हितों के संवर्धन पर बल देता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुमत की सरकार बनती है, ऐसे में संख्या में कम होने के कारण अल्पसंख्यक के हितों की अनदेखी की जा सकती है। इस दृष्टि से उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना हमारे संविधान के अनुकूल ही है। यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वर्ग की सुरक्षा के लिये प्रदान किये गए विशेष अधिकारों को विधि के तहत समता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म के आधार पर विभेद किये जाने का विरोध करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है। जैसे कि पूर्व लिखित है 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' सिस्टम में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करना है। स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना 'विधि के समक्ष समता' तथा 'धर्मनिरपेक्षता' के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।

गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर वर्ष 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ, इसे 'राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग अधिनियम, 1992' द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नाम दिया गया। पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग 17 मई, 1995 को बनाया गया था। 1995 के संशोधन के पश्चात् आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई (इनमें एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष भी शामिल हैं)। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग के 5 सदस्य (अध्यक्ष के साथ) अल्पसंख्यक समूह से होंगे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का निगमन 30 सितंबर, 1994 को अल्पसंख्यकों के मध्य पिछड़े वर्गों के लिये आर्थिक एवं विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के

अध्याय 10

नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य असुरक्षित वर्ग के कल्याण से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ (Social Legislation and Mechanism for the Welfare of Disabled, Older Person and Other Insecure Sections)

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मौलिक अधिकारों तक समाज की पहुँच सुनिश्चित करना है। समाज में महिलाओं, पिछड़े वर्गों, जनजातीय समुदायों, विकलांगों, वृद्धों और अनाथ बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर समावेशी समाज की स्थापना के लिये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वर्गों जैसे श्रमिक, ट्रांसजेंडर, एड्सपीड़ित आदि के कल्याण के लिये भारतीय संविधान के आलोक में विभिन्न सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ लागू की गई है। अपने उद्भव के समय से ही भारतीय संविधान दुर्बल एवं वंचित वर्गों के हितों के लिये प्रतिबद्ध है।

10.1 नि:शक्तजनों से संबंधित समस्याएँ एवं संवैधानिक प्रावधान *(Problems and Constitutional Provision Related to Disabled)*

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप की नि:शक्तता या शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित है। नि:शक्तता शब्द के कई अर्थ हैं। हालाँकि, मोटे तौर पर नि:शक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, पहचानने, सुनने एवं देखने की कार्यक्षमता की संकल्पना (विश्व स्वास्थ्य संगठन-2004) के रूप में समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, बुढ़ापा, उम्र बढ़ने तथा गंभीर बीमारियों के उभरने से नि:शक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। नि:शक्तता की गंभीरता के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका प्रभाव कुल जनसंख्या के 1.5 से 2.13 प्रतिशत के बीच है।

भारत में नि:शक्तता का प्रसार *(Prevalence of disability in India)*

भारत में नि:शक्तता की विभिन्न प्रसार दरें उपलब्ध हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की नि:शक्तता से पीड़ित हैं (कुल जनसंख्या का 2.21%)। 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की शारीरिक व मानसिक कमज़ोरियों को विकलांगता या नि:शक्तता के अंतर्गत रखा गया। भारत में नि:शक्त व्यक्ति घनत्व 2130 व्यक्ति एक लाख पर है।

शारीरिक दुर्बलता या नि:शक्तता के प्रमुख कारणों में गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी बीमारी (Cardiovascular Disease) एवं कैंसर, सड़क दुर्घटना में घायल होना, संघर्ष, मानसिक दुर्बलता, जन्म संबंधी विकृति, कुपोषण, एचआईवी/एड्स और अन्य संक्रामक रोगों को रखा जा सकता है।

विकलांग से दिव्यांग (Viklang to Divyang)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने चर्चित कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि जिन्हें हम विकलांग के रूप में जानते हैं, ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी है। क्यों न हम 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करें!

प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों का विरोध:

- हालाँकि प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 'विकलांग' शब्द के स्थान पर 'दिव्यांग' कहे जाने का विरोध किया है।

अध्याय 11

विभिन्न वर्गों से संबंधित नीतियाँ (Policies Related to Different Categories)

नीतियाँ मार्गदर्शक एवं निर्धारक तत्त्वों की भूमिका निभाती हैं। नीतियों के अनुसार ही राज्य अपना कार्य निर्धारित करता है एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। सरकार भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये विभिन्न वर्गों यथा- महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों, उपेक्षित समुदायों आदि के लिये नीतियाँ बनाती है। ये नीतियाँ सोच-समझ कर बनाई जाती हैं जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम प्राप्त करने में अत्यंत सहायता करती हैं।

11.1 महिलाओं से संबंधित नीतियाँ *(Women Related Policies)*

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति, 2001
(National policy for the empowerment of women, 2001)

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं का आधुनिकीकरण, विकास और सशक्तीकरण करना है। नीति को व्यापक रूप से विस्तार दिया जाएगा ताकि इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- महिलाओं के पूर्ण विकास एवं भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिये विधिक रूप में वस्तुत: पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसाय और व्यावसायिक निर्देशन, रोज़गार, समान वेतन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक कार्यालयों तक महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिये कानूनी/विधायी तंत्र को मज़बूत करना।
- महिलाओं व पुरुषों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार एवं सामुदायिक क्रियाओं में परिवर्तन लाना।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में शामिल करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का अंत।
- नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ मज़बूत साझेदारी का निर्माण करना।

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का प्रस्तावित प्रारूप *[National women policy (proposed format)]*

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा जारी किया गया है। इस नीति से अगले 15-20 वर्षों के दौरान महिला संबंधी मुद्दों पर सरकार की कार्यवाही को दिशा-निर्देश प्राप्त होगा।

नई नीति की आवश्यकता

1. राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 तैयार होने के बाद डेढ़ दशक बीत चुके हैं और तब से अब तक 15 वर्षों में विश्व प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणालियों के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के रास्ते पर अग्रसर है तथा महिलाओं पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. पिछले कुछ दशकों के दौरान महिलाओं को शक्ति संपन्न करने की गतिविधियों में तेज़ी आई है। महिलाएँ पूरे देश

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456

UKPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1. परिवर्तन के तत्त्व के रूप में सामाजिक विधान **5–14**

1.1 भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ 5

1.2 सामाजिक विधान : अर्थ एवं प्रकार 9

1.3 सामाजिक विधान द्वारा परिवर्तन 11

1.4 सामाजिक विधान का प्रभाव 12

2. भारतीय समाज के असुरक्षित वर्ग एवं उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ **15–49**

2.1 असुरक्षित, हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह/समुदाय : अर्थ एवं अवधारणा 15

2.2 भारत में असुरक्षित वर्गों की स्थिति एवं समस्याएँ 18

2.3 असुरक्षित वर्गों से संबंधित उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ 25

2.4 असुरक्षित वर्गों के लिये उत्तराखंड सरकार के विशेष प्रयास 43

3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **50–62**

3.1 पृष्ठभूमि एवं परिभाषा 50

3.2 विभिन्न निर्योग्यताएँ एवं दंड प्रावधान 51

3.3 न्यायालयीन संदर्भ एवं अधिकारिता 54

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 **63–84**

4.1 पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ 63

4.2 अत्याचार के अपराध एवं दंड प्रावधान 66

4.3 निष्कासन एवं शास्ति 72

4.4 विशेष न्यायालय एवं प्रकीर्ण 73

4.5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 79

5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 **85–97**

5.1 घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ 85

5.2 घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं संबंधित प्रक्रियाएँ 88

5.3 घरेलू हिंसा के कारण एवं परिणाम 92

5.4 महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव 94

6. महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ **98–137**

6.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध 98

6.2 महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सामाजिक विधान 100

6.3 भारत में महिला अधिकारों की निगरानी के लिये एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ 107
6.4 महिलाओं के लिये केंद्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ 108
6.5 बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सामाजिक विधान 115
6.6 भारत में बच्चों के संरक्षण एवं उन्नति के लिये गठित सरकारी तंत्र 124
6.7 बच्चों के लिये केंद्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ 125
6.8 उत्तराखंड में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिये सरकारी तंत्र 131

7. महिला एवं बाल यौन शोषण निवारण उपाय 138–149
7.1 महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय 138
7.2 बच्चों का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय 142
7.3 आई.पी.सी. एवं सी.आर.पी.सी के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा 144
7.4 महिलाओं एवं बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिये सुझाव 146

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ 150–181
8.1 अनुसूचित जाति हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान 150
8.2 अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 155
8.3 अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान 160
8.4 अनुसूचित जनजातियों में संबंधित सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 168
8.5 वर्तमान परिदृश्य: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 175

9. अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ 182–195
9.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 182
9.2 अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएँ 184
9.3 अल्पसंख्यक सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अभिनव कदम 189
9.4 पिछड़ा वर्ग से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 192

10. नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य असुरक्षित वर्ग के कल्याण से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ 196–226
10.1 नि:शक्तजनों से संबंधित समस्याएँ एवं संवैधानिक प्रावधान 196
10.2 नि:शक्तजनों के लिये सामाजिक विधान, सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 200
10.3 वृद्धजनों हेतु सामाजिक विधान सरकारी तंत्र एवं योजनाएँ 210
10.4 अन्य असुरक्षित वर्ग के संरक्षण हेतु सामाजिक विधान एवं तंत्र 214

11. विभिन्न वर्गों से संबंधित नीतियाँ 227–236
11.1 महिलाओं से संबंधित नीतियाँ 227
11.2 बच्चों से संबंधित नीतियाँ 229
11.3 वृद्धजनों से संबंधित नीतियाँ 231
11.4 नि:शक्तजनों से संबंधित नीतियाँ 233
11.5 राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 234

अध्याय
1

परिवर्तन के तत्त्व के रूप में सामाजिक विधान
(Social legislation as the element of change)

भारतीय समाज, समन्वित सामाजिक संस्कृति का एक अतुलनीय उदाहरण है। यहाँ प्रारंभ से ही विभिन्न विचारों, भाषाओं, खान-पान, रहन-सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि की विविधता उपस्थित रही है। भारतीय समाज की विविधता का एक प्रमुख कारक यहाँ उपस्थित भौगोलिक विविधता है। यहाँ एक ओर जहाँ ऊँचे पर्वत, समुद्र तट और मरुस्थल हैं तो वहीं दूसरी ओर वृहद् मैदान और घने जंगल भी हैं। इस कारण भारतीय समाज का विविध स्वरूप होना स्वाभाविक-सा लगता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस भारतीय समाज में एक वर्ग धनी एवं शिक्षित है तो दूसरा निर्धन एवं निरक्षर। एक ओर बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं तो दूसरी ओर दमन एवं शोषण की शिकार जनता। कहीं महिलाओं को संरक्षण देने के लिये बड़े-बड़े आंदोलन किये जाते हैं तो कहीं कन्या भ्रूणहत्या की निर्मम घटनाएँ होती हैं। कहीं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है तो कहीं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अधिकारों का हनन भी होता है।

1.1 भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ
(Indian Society : Features and Problems

प्रसंगवश, **19वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों** की पृष्ठभूमि भी कुछ सीमा तक ऐसे ही उथल-पुथल से युक्त थी। तब विधवा विवाह को अस्वीकार कर दिया जाता था, सती प्रथा को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी, छुआछूत भारतीय समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, बाल विवाह का बाहुल्य था, स्त्री शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। इन विकट परिस्थितियों में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डी. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फूले, बी.आर. अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवियों एवं संवेदनशील लोगों ने तत्कालीन भारतीय समाज को नई दिशा दिखाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस परिप्रेक्ष्य में **1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम**, **1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** लागू किये गए। **1891 में सम्मति आयु अधिनियम** पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित निम्नांकित अन्य कदम भी उठाए गए-

- 1903 में **बंबई समाज सुधारक सभा** बनाई गई।
- 1916 में **पुणे** में **भारतीय महिला विश्वविद्यालय** स्थापित किया गया।
- 1926 में **अखिल भारतीय महिला संघ** स्थापित किया गया।
- 1930 में **शारदा अधिनियम** द्वारा विवाह के लिये कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय किया गया।
- 1932 में **अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारक संघ** स्थापित कर छुआछूत निषेध को प्राथमिकता दी गई।

यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में निरंतर बदलाव होते रहे हैं और साथ ही इसकी विविधता भी बनी रही है। इस बदलाव के दौरान भारतीय समाज की संतुलित प्रगति के लिये विविध नियम बनाए गए एवं समाजोत्थान को प्रेरित करने वाले संगठनों की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जी रहे हैं तो भी भारतीय समाज की सामाजिक संस्कृति पर किसी प्रकार की आँच नहीं आई है। हाँ, यह ज़रूर है कि इस विविधतापूर्ण सामाजिक ढाँचे को बनाए रखने और इसकी निरंतर प्रगति के लिये कुछ संतुलनकारी तत्त्वों यथा सामाजिक विधानों की आवश्यकता जान पड़ती है, जैसा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी देखा गया। ये विधान भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग, लिंग, धर्म, जाति आदि को संरक्षण प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक विधान निर्मित किये गए हैं। जैसे-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिये '**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**', स्त्री को घरेलू हिंसा से बचाने के लिये '**घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005**', उपभोक्ताओं

- भिक्षावृत्ति, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन आदि से सबंधित कानून बनने से समाज में स्वस्थ वातावरण बना।
- महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्राप्त हुई।
- घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा से संरक्षण प्राप्त हुआ।
- समाज में नवीन सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

वर्तमान में हमारे देश में आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुरूप गतिशील सामाजिक विधान बनाने एवं पहले से उपस्थित विधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये विधान ऐसे हों, जो समस्त वर्गों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा सामाजिक विषमता दूर करने में समर्थ हों। सामाजिक विधानों से सामाजिक परिवर्तन होने के साथ-साथ वंचन में कमी आई है परंतु इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सामाजिक विधान सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सामाजिक विघटन रोकने, वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करने एवं समाज के सुधारक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लाए जाते हैं।
- 1829 में सर्वप्रथम बंगाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में संपूर्ण भारत में विस्तारित कर दिया गया।
- भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में विविधता, अध्यात्मवाद, सहिष्णुता आदि शामिल हैं।
- भारत में छुआछूत को समाप्त करने के लिये 1955 में 'सिविल अधिकार संरक्षण कानून' पारित किया गया था।
- सिविल अधिकार संरक्षण कानून, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 से संबंधित है।
- शारदा एक्ट, 1929 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के लिये विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई।
- 1932 में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ' की स्थापना की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति **घनश्यामदास बिड़ला** थे।
- दहेज़ प्रथा को रोकने के लिये 'दहेज़ (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961' पारित किया गया।
- बालश्रम समस्या के समाधान के लिये 1979 में **'गुरुपद स्वामी समिति'** का गठन किया गया था।
- 'सत्यशोधक समाज' ने दलित वर्ग के उत्थान एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के पक्ष में आवाज़ उठाई।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार दिलाने के लिये गंभीर प्रयत्न किये।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में से किस सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई?

UKPSC (RA/ARO) Mains 2016

(a) ब्रह्म समाज (b) प्रार्थना समाज
(c) आर्य समाज (d) सत्य शोधक समाज

2. निम्न में से कौन-सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है?

(a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955
(b) घरेलू हिंसा अधिनियम-2005
(c) स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम -1956
(d) दहेज़ विरोध संशोधन अधिनियम-1961, 1985

3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 संबंधित है-

(a) महिलाओं एवं बच्चों से
(b) वृद्धजनों से
(c) दिव्यांगजनों से
(d) अनुसूचित जाति के सदस्यों से

4. शारदा अधिनियम संबंधित है-
   (a) सती प्रथा (b) बाल विवाह
   (c) विधवा विवाह (d) विशेष विवाह
5. भारत में छुआछूत को रोकने के लिये कौन-सा अधिनियम बनाया गया?
   (a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955
   (b) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994
   (c) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956
   (d) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1961, 1972
6. सामाजिक विधान का उद्देश्य नहीं है-
   (a) सामाजिक परिवर्तन (b) सामाजिक सुधार
   (c) 1 एवं 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।
7. भारतीय समाज की विशेषताओं में किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये?
   (a) बेरोज़गारी (b) भ्रष्टाचार
   (c) अशिक्षा (d) संपन्नता
8. प्राचीन विधान के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है-
   (1) ये सामान्यत: अलिखित होते हैं।
   (2) इनका विकास जनरीतियों, लोक परंपराओं एवं नैतिकता की परिपाटी में होता है।
   (3) इन विधानों को सदैव वैधानिक आधार प्राप्त रहता है।

   कूट:
   (a) 1 एवं 2 दोनों (b) केवल 1
   (c) 1 एवं 3 दोनों (d) उपरोक्त सभी सही हैं।
9. वर्ष 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
   (a) बाल विवाह
   (b) बाल श्रम
   (c) बाल व्यापार
   (d) इनमें से कोई नहीं।
10. निम्न में से कौन-सा एक सही है?
   (a) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 - अस्पृश्यता निवारण
   (b) अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) विरोध अधिनियम, 1989 - अनैतिक व्यापार
   (c) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 - छुआछूत का निषेध
   (d) बालश्रम निषेध अधिनियम, 1956 - बाल विवाह

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (d) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (a) 9. (b) 10. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिये)

(a) समाज में कानून द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है?
(b) एक समाज का उदाहरण।
(c) भारतीय समाज।
(d) संयुक्त परिवार।
(e) जाति व्यवस्था।
(f) बालश्रम।
(g) सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक दो विधियों का उल्लेख करें।

लघु एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50, 125 या 250 शब्दों में दीजिये)

1. 'सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिये उत्तरदायी हैं।' स्पष्ट कीजिये।
2. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।
3. वर्तमान में भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? संक्षिप्त विवरण दीजिये।
4. विधि के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? स्पष्ट कीजिये।
5. सामाजिक विधान क्या होते है? इनके प्रकार एवं क्षेत्र की चर्चा करें।

अध्याय
2

भारतीय समाज के असुरक्षित वर्ग एवं उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ (Vulnerable Classes of Indian Society and Schemes of Uttarakhand Government)

'सामाजिक न्याय' शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमज़ोर व्यक्तियों, वृद्धों, दीन-हीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा-वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एक विषमतामूलक समाज के 'सर्वसमावेशी समाज' के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह सबके लिये समान विकासीय दशाओं तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। समाज के वे वर्ग जो असुरक्षित, हाशिये पर, उपेक्षित एवं मुख्यधारा से पीछे छूट गए हैं, उन्हें सामाजिक न्याय के द्वारा ही आगे बढ़ाने एवं संरक्षित करने के लिये सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। भारत में एकता और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय का अत्यधिक महत्त्व है।

2.1 असुरक्षित, हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह/समुदाय : अर्थ एवं अवधारणा *(Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Groups/ Communities : Meaning and Concept)*

असुरक्षित समूह का अर्थ *(Meaning of vulnerable groups)*

'असुरक्षित समूह' का अर्थ अत्यंत अस्पष्ट है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे समूह जो शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं, उन्हें असुरक्षित समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार, असुरक्षित समूह में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता है जो न तो आरामदायक जीवन जीने में सक्षम होते हैं और न ही इन्हें विकास के समुचित अवसर ही उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के चलते वे अपने मूलभूत मानवाधिकारों का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं होते हैं।

यूरोपीय संघ के अनुसार, "वे समूह जो आम जनता की तुलना में अधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के शिकार होते हैं, वे असुरक्षित कहलाते हैं।" प्रजातीय अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, नि:शक्त व्यक्तियों, बेघरों तथा मादक द्रव्य व्यसनी, अकेले रह रहे वृद्ध तथा बच्चे सभी असुरक्षित समूहों के अंतर्गत ही आते हैं और ये सभी प्राय: मुश्किलों का सामना करते हैं जिससे इन्हें शिक्षा के निम्न स्तर तथा बेरोज़गारी जैसे सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है।

हाशिये पर स्थित समूह का अर्थ *(Meaning of marginalized groups)*

हाशिये पर चले गए समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्यधारा से हाशिये पर धकेल दिया गया है। ऐसे समूह प्राय: अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं और सामान्यत: इनके हितों की अनदेखी की जाती है। हाशिये पर स्थित समूहों को वंचित समूहों के रूप में भी जाना जाता है। ये लाभ से वंचित समाज के ऐसे समूह हैं जो संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में पूर्ण सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हाशिये पर स्थित लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत भी हो सकते हैं और इसीलिये वे असुरक्षित होते हैं।

अध्याय
3

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955)

स्वतंत्रता एवं समानता सामाजिक न्याय के मूलभूत तत्त्व हैं। दोनों में से किसी एक का अभाव सामाजिक न्याय का अभाव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिये ज़रूरी है। किसी भी समाज में समानता सहज और वांछनीय है। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने और उसे सतत् विकास की ओर गतिमान बनाए रखने की दृष्टि से विषमताओं को न्यूनतम किया जाना जरूरी है, किंतु अधिक विषमता को नियंत्रित करना और समानता की प्राप्ति के लिये प्रयास करना कहीं अधिक अनिवार्य है। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो समानता पर आधारित हो, किसी भी व्यवस्था मे जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी बुराई के अंत के लिये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 प्रवृत्त किया गया है।

3.1 पृष्ठभूमि एवं परिभाषा *(Background and Definitions)*

अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता या इससे संबद्ध मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम बनाया गया था।

इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि '**यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है या ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की किसी परंपरा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी रूप में अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देता है तो उस व्यक्ति को अस्पृश्यता के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाला माना जाएगा**।

चूँकि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। अस्पृश्यता पर आधारित भेदभाव ज़्यादातर उच्च जातियों द्वारा दलित या अनुसूचित जातियों के साथ किया जाता है इसलिये अस्पृश्यता के आधार पर अपराध गठित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त एवं परिवादी (Accused and complainant) भिन्न सामाजिक समूह के व्यक्ति हों। यदि **अभियुक्त एवं परिवादी समान सामाजिक समूह के व्यक्ति हैं तो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं माना जाएगा।**

धारा-1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ–

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था।
- राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को 8 मई, 1955 को अनुमति प्रदान की गई थी।
- इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को समाज में सम्मान एवं समानता का अधिकार दिलाना है।
- अप्रैल 1965 में गठित **इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal committee)** की अनुशंसाओं के आधार पर 1975 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (Untouchability (Offences) Act, 1955) का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of civil right Act, 1955) कर दिया गया था।
- संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ।
- यह अधिनियम भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17** के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है।
- यह अधिनियम अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार को समाप्त करने पर केंद्रित है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **जम्मू-कश्मीर सहित** देश के सभी भागों में लागू किया गया है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 इस संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से अलग है, जिसे **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर** देश के अन्य भागों में लागू किया गया है।

अध्याय 4

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किये गए अपराधों के निवारण के लिये है। अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कहलाता है।

- यह अधिनियम 11 सितंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम को 30 जनवरी, 1990 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किये गए अपराध गैर-जमानती (Non bailable), संज्ञेय (Cognizable) तथा अशमनीय (Non-compoundable) हैं।

4.1 पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ *(Background and Commencement)*

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसे लोगों से है, जो प्राचीन समय में वर्ण पदानुक्रम व्यवस्था में शामिल नहीं थे।
- यह शब्द पहली बार साइमन कमीशन द्वारा प्रयोग किया गया था।
- भारत शासन अधिनियम-1935 में भी इसका उल्लेख किया गया था।

अनुसूचित जनजाति

- अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के संविधान में हुआ है।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है।
- अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ 'वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या उन आदिवासी समुदायों के भाग या समूह हैं, जिन्हें **राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना** द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।'

भारतीय समाज को परंपरागत विश्वासों के अंधानुकरण तथा अतार्किक लगाव से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिये 1955 में अस्पृश्यता (अपराध निवारण) अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसकी कमियों एवं कमज़ोरियों के कारण सरकार को इस कानूनी तंत्र में व्यापक सुधार करना पड़ा। 1976 से इस अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपाय करने के बावजूद उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। उन्हें अपमानित एवं उत्पीड़ित किया जाता रहा। उन्होंने जब भी अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहा, उन्हें दबाने एवं आतंकित करने का कार्य किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न रोकने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने के लिये विशेष अदालतों के गठन को आवश्यक समझा गया। उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया था। **इस अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सक्रिय प्रयासों से न्याय दिलाना था, ताकि समाज में वे गरिमा के साथ रह सकें। उन्हें हिंसा या उत्पीड़न का भय न सताए।

अध्याय
5

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

घरेलू हिंसा या महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में शिकार होने वाली महिलाओं की रक्षा करने और उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।** 13 सितंबर, 2005 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 26 अक्टूबर, 2006 से इसे लागू किया गया।

5.1 घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ *(Definition and Categories of Domestic Violence)*

सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें पहुँचाई गई शारीरिक हानि को माना जाता है। व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल वर्तमान पतियों से ही न होकर पुरुष मित्रों, पूर्व-पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इस तरह से घरेलू हिंसा, पीड़ित (Victim) एवं प्रत्यर्थी (Respondent) के संबंध को दर्शाता है। घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है। इसके लिये हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है और शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एवं लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है।

परिभाषा *(Definition)*

इस अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

(क) **'व्यथित व्यक्ति'** से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;

(ख) **'बालक'** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है;

(ग) **'प्रतिकर आदेश'** से धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(घ) **'अभिरक्षा आदेश'** से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) **'घरेलू घटना रिपोर्ट'** से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो;

(च) **'घरेलू नातेदारी'** से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं;

(छ) **'घरेलू हिंसा'** का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है;

(ज) **'दहेज़'** का वही अर्थ होगा, जो दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है;

(झ) **'मजिस्ट्रेट'** से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ञ) **'चिकित्सीय सुविधा'** से ऐसी सुविधा अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए;

अध्याय 6

महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Women and Childern)

देश के समग्र विकास के लिये महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण एवं कल्याण अत्यंत आवश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित होने के लिये भी महिला एवं बाल विकास पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भारत में लोकनीति एवं सामाजिक विधानों का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके इन्हें संरक्षित करना है। महिलाओं एवं बच्चों का भविष्य एक सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ वातावरण में विकसित हो इसके लिये सामाजिक विधान एवं कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता सतत् रूप से बनी रहेगी।

6.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crime Against Women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किये जाते हैं। भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code–IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित कृत्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है–

(i) बलात्कार (Rape), (ii) अपहरण या भगा ले जाना (Kidnapping or Abduction), (iii) दहेज हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक) Harassment (Physically/mentally), (v) छेड़छाड़ (Molestation), (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment), (vii) लड़कियाँ मँगवाना या लाना (Import of girls)

> सामाजिक प्रतिरूप राष्ट्रीय संस्थान व राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार हर 33 मिनट में महिलाओं के विरुद्ध एक मामला मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं।

महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न अपराधों का सामना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग आदि के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में भी हो सकते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेत्तर संबंधों के आरोप में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनका सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेजाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेडछाड़ महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएँ न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। वे न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्रायः वे समझती हैं कि उनके साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

महिलाओं के संपूर्ण जीवन-चक्र में उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं के विभिन्न स्वरूप *(Various forms of violence against women throughout the life cycle)*

अवस्था	हिंसा के स्वरूप
गर्भधारण पूर्व	क्रोमोसोम चयन तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण न आने देना
जन्म से पूर्व	लिंग विशिष्ट गर्भपात करवाना।

अध्याय
7

महिला एवं बाल यौन शोषण निवारण उपाय (Women and Child Sexual Abuse Prevention Measures)

महिला एवं बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय गंभीर सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन और समाज में उनकी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। महिलाओं एवं बच्चों के साथ हिंसा और यौन शोषण उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक क्षति से जुड़े हुए हैं। आधुनिक तकनीकी युग में इंटरनेट, मोबाइल जैसे माध्यमों से अब यौन शोषण के नए तरीके और माध्यम उत्पन्न हो गए हैं। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी ने यौन उत्पीड़न की समस्या का विस्तार करते हुए इस समस्या को और अधिक भयावह बना दिया है। यौन शोषण से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जागरूकता आवश्यक है, साथ ही इससे संबंधित सामाजिक विधानों या कानूनों को सही तरीके से क्रियान्वित करने पर भी ध्यान दिये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

7.1 महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु उपाय *(Measures to Prevent Sexual Harassment of Women)*

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 *(Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013*

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं को मिले समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यह एक असुरक्षित एवं प्रतिकूल कार्य का वातावरण उत्पन्न करता है जो कार्य में महिलाओं की सहभागिता को हतोत्साहित करता है। इस कारण उनके आर्थिक सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इस मामले को सुलझाने के लिये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों एवं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अलावा पूर्व में कोई घरेलू कानून नहीं था। कार्य में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता ने यह अनिवार्य बना दिया है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये व्यापक कानून बनाने के साथ-साथ इसके समाधान तंत्र (Redressal Mechanism) का भी प्रावधान किया जाना चाहिये।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

(i) विशाखा मामले में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है और महिला कर्मचारियों को दी गई धमकी या महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कार्य-वातावरण को उत्पन्न करने के प्रयास को शामिल कर इस अधिनियम को और भी विस्तृत बना दिया गया है।

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पाने वाली पीड़ित महिला (Aggrieved Women) की परिभाषा को अत्यधिक विस्तृत बना दिया गया है ताकि बिना उसकी उम्र या रोज़गार प्रस्थिति को ध्यान में रखे, चाहे वह महिला संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, सभी संरक्षण पाने की हकदार होगी। इसमें ग्राहकों, खरीदारों के साथ-साथ घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।

(iii) जहाँ विशाखा दिशा-निर्देशों में कार्यस्थल, परंपरागत ढाँचा जिसमें स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पाए जाते हैं तक ही सीमित था, वहीं इस अधिनियम में संगठनों, विभागों, कार्यालयों (सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र की शाखा इकाई), अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्टेडियम, शैक्षिक संस्थानों, खेल परिसर या किसी अन्य स्थान तथा रोज़गार के दौरान कर्मचारी द्वारा किसी स्थान की यात्रा जिसमें परिवहन भी शामिल है, आदि को शामिल किया गया है।

अध्याय
8

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक 'समाजवादी' राज्य घोषित किया गया है और यह शब्द अपने आप में सरकार की सामाजिक न्याय एवं कल्याण के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का एक अर्थपूर्ण प्रमाण है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य समाज में मुख्य धारा से पिछड़ गए समुदायों को मुख्य धारा में जोड़कर समतामूलक एवं समावेशी समाज की स्थापना करना है।

8.1 अनुसूचित जाति हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक विधान *(Constitutional Provisions and Social Legislation for Scheduled Castes)*

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, जबकि 2001-11 के दौरान इसमें 20.8% की वृद्धि हुई है। ये वे लोग हैं जो अंतिम वर्ण जिसे 'शूद्र' अथवा 'अवर्ण' या 'अंत्यज' कहा गया है, के अंतर्गत आते हैं। 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह अस्तित्व में आया। 1935 से पहले इन्हें 'अस्पृश्य' अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था।

ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। 'अस्पृश्य' कही जाने वाली इन जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों- हिंदू, जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बाँटने का सुझाव दिया। 1931 में अम्बेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक रक्षोपाय *(Constitutional safeguards for Scheduled Castes in India)*

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान *(Constitutional Provisions Relating to Scheduled castes)*

(A) परिभाषा

- अनुच्छेद-341 अनुसूचित जातियाँ
- अनुच्छेद-366(24) अनुसूचित जातियों की स्पष्ट परिभाषा

(B) सामाजिक रक्षोपाय के मानक

- अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद-25 अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

(C) शैक्षणिक, आर्थिक व लोक नियोजन संबंधी रक्षोपाय

- अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अध्याय
9

अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक विधान एवं योजनाएँ (Social Legislation and Schemes for Minorities and Backward Classes)

भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना में ही भारत के सभी नागरिकों के विकास एवं उन्नयन के उद्देश्य दृष्टिगत होते हैं, फिर चाहे वे वंचित वर्ग के हों या मुख्यधारा के। भारत सरकार संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप ही अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग के संरक्षण एवं कल्याण हेतु प्रयासरत है। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित मुद्दों की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से नियोजन, समग्र नीति, समन्वय एवं विनियमक ढाँचे तथा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा सुविधा के लिये भारत सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है।

9.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ *(Social Legislation and System Related to Minorities)*

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, बौद्ध एवं पारसी इन पाँच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है। ये समुदाय राष्ट्र की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या की संरचना करते हैं। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। इसी उद्देश्य से 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में उनके संरक्षण के प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान भी हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। यह तार्किक रूप से युक्तियुक्त वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार असुरक्षित समूहों के हितों के संवर्धन पर बल देता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुमत की सरकार बनती है, ऐसे में संख्या में कम होने के कारण अल्पसंख्यक के हितों की अनदेखी की जा सकती है। इस दृष्टि से उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना हमारे संविधान के अनुकूल ही है। यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वर्ग की सुरक्षा के लिये प्रदान किये गए विशेष अधिकारों को विधि के तहत समता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म के आधार पर विभेद किये जाने का विरोध करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है। जैसे कि पूर्व लिखित है 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' सिस्टम में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करना है। स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना 'विधि के समक्ष समता' तथा 'धर्मनिरपेक्षता' के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।

गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर वर्ष 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ, इसे 'राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग अधिनियम, 1992' द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नाम दिया गया। पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग 17 मई, 1995 को बनाया गया था। 1995 के संशोधन के पश्चात् आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई (इनमें एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष भी शामिल हैं)। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग के 5 सदस्य (अध्यक्ष के साथ) अल्पसंख्यक समूह से होंगे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का निगमन 30 सितंबर, 1994 को अल्पसंख्यकों के मध्य पिछड़े वर्गों के लिये आर्थिक एवं विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के

अध्याय
10

नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य असुरक्षित वर्ग के कल्याण से संबंधित सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ (Social Legislation and Mechanism for the Welfare of Disabled, Older Person and Other Insecure Sections)

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मौलिक अधिकारों तक समाज की पहुँच सुनिश्चित करना है। समाज में महिलाओं, पिछड़े वर्गों, जनजातीय समुदायों, विकलांगों, वृद्धों और अनाथ बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर समावेशी समाज की स्थापना के लिये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नि:शक्तजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वर्गों जैसे श्रमिक, ट्रांसजेंडर, एड्सपीड़ित आदि के कल्याण के लिये भारतीय संविधान के आलोक में विभिन्न सामाजिक विधान एवं व्यवस्थाएँ लागू की गई है। अपने उद्भव के समय से ही भारतीय संविधान दुर्बल एवं वंचित वर्गों के हितों के लिये प्रतिबद्ध है।

10.1 नि:शक्तजनों से संबंधित समस्याएँ एवं संवैधानिक प्रावधान *(Problems and Constitutional Provision Related to Disabled)*

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप की नि:शक्तता या शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित है। नि:शक्तता शब्द के कई अर्थ हैं। हालाँकि, मोटे तौर पर नि:शक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, पहचानने, सुनने एवं देखने की कार्यक्षमता की संकल्पना (विश्व स्वास्थ्य संगठन-2004) के रूप में समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, बुढ़ापा, उम्र बढ़ने तथा गंभीर बीमारियों के उभरने से नि:शक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। नि:शक्तता की गंभीरता के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका प्रभाव कुल जनसंख्या के 1.5 से 2.13 प्रतिशत के बीच है।

भारत में नि:शक्तता का प्रसार *(Prevalence of disability in India)*

भारत में नि:शक्तता की विभिन्न प्रसार दरें उपलब्ध हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की नि:शक्तता से पीड़ित हैं (कुल जनसंख्या का 2.21%)। 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की शारीरिक व मानसिक कमज़ोरियों को विकलांगता या नि:शक्तता के अंतर्गत रखा गया। भारत में नि:शक्त व्यक्ति घनत्व 2130 व्यक्ति एक लाख पर है।

शारीरिक दुर्बलता या नि:शक्तता के प्रमुख कारणों में गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी बीमारी (Cardiovascular Disease) एवं कैंसर, सड़क दुर्घटना में घायल होना, संघर्ष, मानसिक दुर्बलता, जन्म संबंधी विकृति, कुपोषण, एचआईवी/एड्स और अन्य संक्रामक रोगों को रखा जा सकता है।

विकलांग से दिव्यांग (Viklang to Divyang)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने चर्चित कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि जिन्हें हम विकलांग के रूप में जानते हैं, ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी है। क्यों न हम 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करें!

प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों का विरोध:

- हालाँकि प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 'विकलांग' शब्द के स्थान पर 'दिव्यांग' कहे जाने का विरोध किया है।

अध्याय 11

विभिन्न वर्गों से संबंधित नीतियाँ (Policies Related to Different Categories)

नीतियाँ मार्गदर्शक एवं निर्धारक तत्त्वों की भूमिका निभाती हैं। नीतियों के अनुसार ही राज्य अपना कार्य निर्धारित करता है एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। सरकार भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये विभिन्न वर्गों यथा- महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों, उपेक्षित समुदायों आदि के लिये नीतियाँ बनाती है। ये नीतियाँ सोच-समझ कर बनाई जाती हैं जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम प्राप्त करने में अत्यंत सहायता करती हैं।

11.1 महिलाओं से संबंधित नीतियाँ *(Women Related Policies)*

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति, 2001 *(National policy for the empowerment of women, 2001)*

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं का आधुनिकीकरण, विकास और सशक्तीकरण करना है। नीति को व्यापक रूप से विस्तार दिया जाएगा ताकि इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- महिलाओं के पूर्ण विकास एवं भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिये विधिक रूप में वस्तुत: पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसाय और व्यावसायिक निर्देशन, रोज़गार, समान वेतन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक कार्यालयों तक महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिये कानूनी/विधायी तंत्र को मज़बूत करना।
- महिलाओं व पुरुषों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार एवं सामुदायिक क्रियाओं में परिवर्तन लाना।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में शामिल करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का अंत।
- नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ मज़बूत साझेदारी का निर्माण करना।

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का प्रस्तावित प्रारूप *[National women policy (proposed format)]*

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा जारी किया गया है। इस नीति से अगले 15–20 वर्षों के दौरान महिला संबंधी मुद्दों पर सरकार की कार्यवाही को दिशा-निर्देश प्राप्त होगा।

नई नीति की आवश्यकता

1. राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 तैयार होने के बाद डेढ़ दशक बीत चुके हैं और तब से अब तक 15 वर्षों में विश्व प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणालियों के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के रास्ते पर अग्रसर है तथा महिलाओं पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. पिछले कुछ दशकों के दौरान महिलाओं को शक्ति संपन्न करने की गतिविधियों में तेज़ी आई है। महिलाएँ पूरे देश